खण्ड-12 संख्या-10

बिहार विधान सभा वाद्वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन ।

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

(बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 1984 ।)

विषय-सूची

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव एवं लम्बित ध्यानाकर्षण सूचनाओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष का नियमन ।	1
शून्य-काल की चर्चाएँ :	2—16
(क) भूतपूर्व विधायक का अपमान	
(ख) पत्रकारों द्वारा सत्ताधारी पक्ष का समर्थन	
(ग) हरिजनों पर अत्याचार	
(घ) थाना प्रभारी द्वारा आतंक	
(ङ) सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान	
(च) हरिजनों को दी जानेवाली अनुदान का लूट	
(छ) पौष्टिक आहार केन्द्र की स्थापना ।	
(ज) श्री कृष्णदेव प्रसाद को हटाना ।	
(झ) शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान ।	

आहार केन्द्र के नाम पर सभी सामान सरकारी गोदामों से लाया जाता है किन्तु केन्द्र संचालकों में वितरित नहीं किया जाता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर अविलम्ब कार्रवाई करते हुए पौष्टिक आहार केन्द्र को खोला जाय।

(ज) श्री कृष्णदेव प्रसाद को हटाना।

श्री जंगी सिंह चौधरी—अध्यक्ष महोदय, अनुग्रह नारायण सिंह कालेज, बाढ़, पटना के श्री कृष्णदेव प्रसाद, अध्यक्ष संस्कृत विभाग कुष्ट रोग से पीड़ित हैं। छात्र संघ ने कुलपति मगध विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन किया—भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने भी लिखा, 18 अक्तूबर, 1982 को कुलपति महोदय ने स्पष्ट आदेश दिया कि श्री प्रसाद को अन्य कार्यों में संलग्न करें। 4 नवम्बर, 1982 को राज्यपाल महोदय ने आवश्यक कार्रवाई करने को लिखा, मगध विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने भी श्री प्रसाद को कुष्ठ रोग से पीड़ित पाया इसकी सूचना भी विश्वविद्यालय को दे दिया और कितने नेता लोगों ने भी लिखा कि श्री प्रसाद को छात्रों से दूर रखा जाए। कुष्ठ रोग एक छूत की बीमारी है। इतना सबके लिखने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि श्री प्रसाद को शीघ्र हटा कर किसी दूसरे पद पर करने की कृपा की जाय।

(झ) शिक्षकों के बकाये वेतन का भुगतान।

श्री मांगन इंसान—बिहार राज्य में कुल 278 मदरसा को स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन 1,800 शिक्षक आज 6-7 साल से कार्य कर रहे हैं जिनको वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार से मांग है कि उन गरीब शिक्षक का वेतन भुगतान करने का आदेश पारित करें।

मुख्य मंत्री जब 2 फरवरी, 1984 को कटिहार जिला में राष्ट्रीय एकता मंच पर से आम जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि कदवा, आजमन, बारसोई, बलरामपुर प्रखण्ड को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए हम इसी वर्ष 1984 में कर देंगे। महानन्दा नदी में झौआ पुल निर्माण कार्य शुरू करा दूंगा। इसके लिए मैं 5-6 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया हूँ। लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है। अतः मुख्य मंत्री का निवेदन है कि झौआ पुल निर्माण कार्य शुरू करा देने की कृपा करें।

(ञ) लठैतों द्वारा हरिजनों पर हमला।

श्री अब्दुल सलाम—दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के ग्राम गोरहैला में दिनांक 23 मार्च, 1984 के शाम में इसी के बगल के ग्राम पटारी में श्री रघुनाथ चौधरी,

भू-स्वामी ने सैकड़ों लठैतों के साथ आकर हरिजन व्यक्तियों पर हमला कर दिया। फलस्वरूप 24 हरिजनों के घर उजाड़ दिए गए और दर्जनों लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया जिसमें चार व्यक्ति, कुशमा देवी, बिलट राम, दीलो राहा, बसावन पासवान गंभीर हालत में दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी हरिजन द्वारा लगाई गई फसल को लूट कर भू-स्वामी द्वारा ले जाने का क्रम अभी भी जारी है। पुलिस तमाशबीन जैसे देख रही है। यह सारी कार्रवाई हरिजन बटाईदारों को बेदखल करने के लिए भू-स्वामी पुलिस के मेल से कर रही है। पता चला है कि एस० पी० ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को नहीं छिपाया है कि ये सभी हरिजन बटाईदार हैं। अतः सरकार द्वारा बटाईदारों के रक्षा देने की विफलता पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(ट) कागज पर महाविद्यालय की स्थापना।

श्री युगेश्वर झा—मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखण्ड में वाणिज्य महाविद्यालय, मधवापुर फर्जी इन्टर महाविद्यालय मात्र कागज पर है। इस महाविद्यालय को फर्जी आधार पर जमीन की रजिस्ट्री की गई थी। सैरात की 5 (पाँच) एकड़ जमीन रजिस्ट्री उक्त कॉलेज के नाम से की गई, रजिस्ट्री जिसे मधुबनी जिला समाहर्त्ता ने अमान्य कर दिया तथा जमीन रजिस्ट्री करने वाले पर फौजदारी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है, इसी आधार पर उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण स्थगित कर दिया गया था। प्रस्तावित महाविद्यालय के लिए 7 (सात) एकड़ जमीन एवं 1 (एक) लाख रुपये दोनों आवश्यक है। परन्तु नाजायज ढंग से इन्टरमीडियट परिषद के शैक्षणिक पदाधिकारी को जगदीश प्रसाद ने उक्त महाविद्यालय का सूचीकरण एवं अनुमति पत्र अपने स्तर से गलत ढंग से निर्गत कर दिया है।

अतः उक्त महाविद्यालय के सूचीकरण एवं अनुमति जो गलत हो गया है उसे रद्द कर दिया जाय तथा भ्रष्ट शैक्षणिक पदाधिकारी श्री जगदीश प्रसाद को निलम्बित किया जाय।

(ठ) श्री रणवीर कुमार की हत्या।

श्री राम नरेश सिंह—भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज थाना के रतनपुर ग्राम में दिनांक 24 मार्च, 1984 को दिन के 1.30 बजे 18 वर्षीय युवक श्री रणवीर कुमार की निर्मम हत्या श्री देवेन्द्र ना० सिंह एवं उनके पुत्र श्री ध्रुव कुमार सिंह ने अपने लाइसेन्सी राइफल से गोलीमार कर कर दिया तथा श्री अजय कुमार सिंह को